



सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-तृतीय
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-architectplanner3@gmail.com



पत्र सं०- 344 / 4.4.1.1/11-5

दिनांक- 24/04/2015

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

विजयश्री कन्सल्टेशन एण्ड होटल प्रा०लि०
ए-979 इन्दिरा नगर, योजना
लखनऊ।

विषय:

व्यावसायिक भूखण्ड सं० 24/जी०एच०-103, इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के
मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

- व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-24/जी०एच०-103, इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 13.04.2015 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर संख्या-..... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
 2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 24-4-2015 से 23-4-2020 तक।
 3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
 4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, उ०प्र० आवास विकास परिषद, लखनऊ का निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
 5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
 6. यह स्वीकृति बेसमेट + स्टिल्ट + भूतल + 13 तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है जिसमें स्टिल्ट में पार्किंग का प्राविधान किया गया है।
 7. यह स्वीकृति 33046.38 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 7600.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
 8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटि की होगी।
 9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
 10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
 11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
 12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
 13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।

14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्टले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्टले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
19. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, लखनऊ के पत्र सं०-प-1931/2014/2886/एलकेडब्लू/लखनऊ/400/डीडी दिनांक 01 सितम्बर 2014 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं उसके साथ संलग्न मानचित्रों में अंकित अग्निशमन व्यवस्था का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा त निर्माण के उपरान्त एवं भवन के उपयोग से पूर्व स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. कय योग्य एफ०ए०आर० की देय धनराशि के सापेक्ष बन्धक भूमि मानचित्रों में लाल रंग से अंकित की गई हैं।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (14 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सैट (17 नग शीट)।
3. स्ट्रक्चरल गणना का एक सैट (7 पृष्ठ) 44
4. अग्निशमन प्राविधानों को दर्शाते हुये सी०एफ०ओ० लखनऊ से अनुमोदित मानचित्र। (10 नग)

(हेमा अग्रवाल)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

दिनांक :

पृ०सं०:

/उक्त/

प्रतिलिपि:

1. अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-03, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट प प्रपत्र 'च' सहित संलग्न प्रेषित।

संलग्नक: यथोक्त।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी